

विनाईडाई  
उप वन संरक्षक,

प्रतिनिधि :- सभामुखी मुख्या वन संरक्षक, उदयपुर को संचालनाई प्रेषित है।  
पत्र क्रमांक : एक ( ) एक.सी.ए./उपसं/2023-24/6088

दिनांक : 4.8.2023

विनाईडाई  
उप वन संरक्षक,

संलग्न :- उपरीक्तानुसार

(विनाईडाई प्रारंभिक)  
उप वन संरक्षक,

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	पालना रिपोर्ट अपूर्ण। प्रस्तावानुसार 33 के.वी./11 के.वी. पारेषण लाईन डाला जानी है किन्तु DGPS संप में दोनों लाईन किस प्रकार डाली जावोगी उसका ले आउट किया जाना प्रस्तावित है।	
2	पालना अपूर्ण। संचालनाई संचालन की संचालनाई हाई प्रति में संलग्न है किन्तु ऑनलाईन अपलोड नहीं की गयी है इसके अतिरिक्त पारेषण लाईन के निमात्र में कितने संचालनाई संचालन किये जावोगे यह तथ्य अंकित नहीं किया गया है।	
4	पालना अपूर्ण। प्रस्ताव पारेषण लाईन के निमात्र से संबंधित है। इसमें वृक्षों का पालन टावर निमात्र में ही होता है अन्य क्षेत्र में नहीं होता है। अतः उप वन संरक्षक इस आशय से पुनर्विचार कर स्पष्ट करे कि कुल कितने वृक्षों का विदीहन किया जावोगा।	

अतः उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करे।  
उपरीक्त विषयानुगत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्नानुसार आक्षेप लगाए गए है।  
महोदय,

विषय :- Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogeniya Mata proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020  
प्रस्ताव :- प्रधान मुख्या वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, उदयपुर का पत्र क्रमांक एक 16(TRANS)2020/एक.सी.ए./प्रमुख/6971 दिनांक 2.8.2023 के क्रम में।

सहायक अभियन्ता, (प व स)  
अ.वि.वि.नि. लि., बर्ग

निम्न,

दिनांक : 4.8.2023

पत्र क्रमांक : एक ( ) एक.सी.ए./उपसं/2023-24/6088

(वन विभाग परिसर, प्रथम सॉकेल, विनाईडाई, Ph&Fax : 01472-241049; email : dc.f.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

कार्यालय उप वन संरक्षक, विनाईडाई (राज)

राजस्थान सरकार